

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**वाणिज्य एवं उद्योग विभाग**  
**मंत्रालय**

**महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर**

—00—

क्र.1762/वा.उ/2021/11/6.

रायपुर, दिनांक 20/04/2021

प्रति,

- 1 **संचालक,**  
उद्योग संचालनालय  
उद्योग भवन, रायपुर
- 2 **मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक,**  
समस्त – जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र  
छत्तीसगढ़

**विषय:—आक्सीजन सिलेण्डर का औद्योगिक प्रयोजन के प्रतिबंध के संबंध में।**

**संदर्भ:—1) गृह मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र दिनांक 18 अप्रैल 2021**

**2) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र दिनांक 18 अप्रैल 2021**

--00--

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों में भारत सरकार द्वारा लेख किया गया है कि वर्तमान कोविड-19 महामारी के संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे अस्पतालों में आक्सीजन की मांग बढ़ गई है। अतः औद्योगिक इकाईयों को आक्सीजन की आपूर्ति एवं उपयोग को नियंत्रित करते हुए मेडिकल आक्सीजन में परिवर्तित करने की आवश्यकता है।

2/ पूर्व से ही राज्य में उत्पादित आक्सीजन का लगभग 80 प्रतिशत उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं हेतु किया जा रहा है। निर्देशानुसार राज्य में स्थापित औद्योगिक इकाईयों को आक्सीजन की आपूर्ति एवं उपयोग किये जाने हेतु **दिनांक 22/04/2021** से आगामी आदेश तक **प्रतिबंधित** किया जाता है। उक्त प्रतिबंध 9 श्रेणी के उद्योगों यथा – i) Ampoules & Vials ii) Pharmaceutical iii) Petroleum refineries vi) Steel Plants v) Nuclear energy facilities vi) Oxygen Cylinder Manufactures vii) Waste Water Treatment Plants viii) Food & Water Purification xi) Process industries which require uninterrupted operation of furnaces, processes, etc. को छोड़कर शेष सभी उद्योगों पर लागू होगा।

निरंतर.....2

3/ उपरोक्त 9 प्रकार के उद्योग को छोड़ अन्य उद्योगों जिनको निर्माण प्रक्रिया में आक्सीजन की आवश्यकता है, उन्हें आक्सीजन आयात अथवा आक्सीजन हेतु Air Separator Unit (ASU) संयंत्र में स्थापित करने की सलाह की जाती है।

4/ कृपया उपरोक्त अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

  
(अनुराग पाण्डेय)

संयुक्त सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग


पृ.क्र. /वा.उ/2021/11/6,

रायपुर, दिनांक 20/04/2021

प्रतिलिपि :-

- 1 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
- 2 उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
- 3 स्टॉफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
- 4 संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर
- 5 नियंत्रक, खाद्य तथा औषधि नियंत्रक संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर।
- 6 समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

  
संयुक्त सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग